(b) if so, what is the average amount contributed by the owner of the factory towards the Provident Fund of each labourer?

The Minister of Labour (Shri V. V. Giri): (a) and (b). No compulsory Provident Fund Scheme has been started by Government in glass factories in Uttar Pradesh. The Employees Provident Funds Act, 1952, which provides for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments does not, for the present, apply to glass factories.

Ch. Raghubir Singh: May I know, Sir, whether the Government contemplate to start it in the near future?

Shri V. V. Giri: They do not contemplate it at present, but certainly they will be constantly examining this question.

Shri Nambiar: May I know, Sir, whether Government are proposing to ask the employers to contribute towards some gratuity or any other fund connected to the provident fund in view of the fact that there is no compulsory provident fund?

Shri V. V. Giri: That question does not arise out of this. I want notice.

Shri Velayudhan: May I know, Sir, whether the Government are contemplating a provident fund scheme for all these industries?

Shri V. V. Giri: It has already been stated to what industries this provident fund scheme applies.

पश्चिमी पाकिस्तान स्थित संपत्तियों के क्लेम

*१६७३. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान में रह गयी संपत्तियों के लिये प्राप्त हुए क्लेमों की राशि क्या है ?

(ख) बंगाल को छोड़ शेष भारत में निष्क्रमणार्थी संपत्तियों की कुल मल्य-राशि क्या है ?

(ग) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में रह जाने वाली संपत्तियों के मालिकों के क्लेमों के भुगतान के लिये किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): (a) Information cannot be supplied at this stage.

(b) Valuation of evacuee properties is in progress and this information cannot be supplied.

(c) The question of giving recompense to displaced persons for property left in West Pakistan is under consideration.

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह हिसाब कितने दिनों से बन रहा है और इस के कब तक बन जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री ए० पी० जैन : यह हिसाब जनवरी सन् १९५१ से बन रहा है और मैं ने यहीं पर यह कहा था कि तीन महीने के अन्दर सितम्बर के आखिर तक बन जायगा ।

पुनर्वास-व्यय

*१६७४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के ऊपर १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९५२ तक व्यय की गयी कुल राशि क्या है ; और

(ख) निम्न राज्यों के तत्संबादी आंकड़े क्या हैं :

(१) दिल्ली राज्य ; और

(२) पंजाब राज्य ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): (a) Rs. 146·34 Crores.

(b) (i) Rs. 13·64 Crores.

(ii) Rs. 24·86 Crores.

सेठ गोविन्द दास : सन् १९५२ के मार्च से लेकर सन् १९५३ के मार्च तक और कितना रुपया इस सम्बन्ध में खर्च करने का इरादा है ?

श्री ए० पी० जैन : वह तो यहीं पर पास हुआ है और माननीय मेम्बर तो उस समय मौजूद होंगे, वह रक़म तेंतीस करोड़ और कुछ है ।

सेठ गोविन्द दास : उसमें से जो इस साल खर्च होने वाला है, उसमें से जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, उन पर कितना खर्च होने वाला है और जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, उन पर कितना खर्च होने वाला है, उसका कोई अलग २ हिसाब है ?

श्री ए० पी० जैन : मोटे तौर से अगर दो रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए पुरुषार्थियों पर खर्च होगा तो एक रुपया पूरब से आये हुए पुरुषार्थियों पर खर्च होगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि मध्य-प्रदेश में जहां २ पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोग बसे हैं उन पर कुछ भी खर्चा नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं ?

श्री ए० पी० जैन : कई शिकायतें तो नहीं पेश की गयीं, लेकिन माननीय मेम्बर ने स्वयं एक शिकायत पेश की थी, उसके बारे में मैंने मध्यप्रदेश की गवर्नमेंट से पूछा है और मध्य प्रदेश की सरकार अगर कुछ देना ज़रूरी समझेगी तो मुझे वह लिखेगी और तब मैं सोचूंगा कि क्या देना है और क्या नहीं देना है ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की गवर्नमेंट को कब लिखा था और उसका उत्तर कब मिला ?

श्री ए० पी० जैन : बस, जब माननीय मेम्बर ने शिकायत की थी, उसी के बाद लिखा था ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि गवर्नमेंट क, इसको लिखे हुए तीन महीने गुज़र चुके हैं और अभी तक कोई उत्तर माननीय मंत्री जी को वहां से नहीं मिला ?

श्री ए० पी० जैन : तीन महीने तो माननीय मेम्बर से मेरी मुलाक़ात हुए भी नहीं हुए ।

Mr. Speaker: I think everybody, including the Ministers should make it a point to address the Chair direct. I also take this opportunity of remarking that, many times, in replying hon. Ministers are addressing members as "You". That is wrong and is not the parliamentary method.

वक्फों और न्यासों को संपत्तियों का हस्तांतरण

*१६७५. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, निष्क्रमणार्थी संपत्ति विधियों की पकड़ में आने से बचने के लिये अपनी संपत्तियां वक्फ़ों और न्यासों को हस्तांतरित कर दी हैं ?

(ख) यदि पता है, तो क्या इस विषय की जांच की गयी है ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): (a) and (b). A few such cases came up before Custodians and after making necessary investigation, such action as was permissible under law was taken.